छात्रावास सूचना विवरणिका एवं आवेदन पत्र

HOSTEL INFORMATION BROCHURE & ADMISSION FORM

2025-26

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

श्रीनगर (गढ़वाल) - 246174, उत्तराखण्ड, भारत

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY

(A Central University)

Srinagar (Garhwal) - 246174, Uttarakhand, India

www.hnbgu.ac.in

Alaknanda Girls' Hostel, Srinagar Campus

Chaukhamba U.G. Boys' Hostel, Srinagar Campus

Trishul Boys' P.G. Hostel, Srinagar Campus

BJJR Boys' Hostel, Srinagar Campus

Nanda Devi Research Hostel, Chauras Campus

Ganga Higher Studies Hostel, Chauras Campus

Bhagirathi Girls' Hostel, Chauras Campus

Mandakani Girls' Hostel, Chauras Campus

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
(A Central University)

छात्रावास सूचना – विवरणिका एवं आवेदन – पत्र (2025–26)

HOSTEL INFORMATION BROCHURE & ADMISSION FORM (2025-26)

मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय
छात्र क्रियाकलाप केन्द्र (कक्ष सं. 302–303)
हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) – 246174, उत्तराखण्ड

Office of the Chief Hostel Warden
Student Activity Centre (Room No. 302-303)
HNB Garhwal University, Srinagar (Garhwal) - 246174, Uttarakhand

विश्वविद्यालय के छात्रावास

महिला छात्रावास

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	परिसर का नाम	आवास का प्रकार/प्रति कक्ष	कुल सीटें
1(अ)	अलकनन्दा महिला छात्रावास	बिड़ला परिसर, श्रीनगर	तीन सीट	56
(ब)	अलकनन्दा महिला छात्रावास (विस्तारीकरण)	बिड़ला परिसर, श्रीनगर	दो सीट	120
2.	भागीरथी महिला छात्रावास	चौरास परिसर	तीन सीट	150
3.	मन्दाकिनी महिला छात्रावास	चौरास परिसर	दो सीट	86
4.	गंगा हॉयर स्ट्डीज शोध महिला छात्रावास	चौरास परिसर	दो सीट	28
5.	नन्दा देवी शोध महिला छात्रावास	चौरास परिसर	एक सीट	50
6.	यमुना महिला छात्रावास	चौरास परिसर	तीन सीट	200
7.	सरस्वती महिला छात्रावास	चौरास परिसर	दो सीट	50
8.	महिला छात्रावास	बी.ज़ी.आर. परिसर, पौड़ी	दो सीट	40
9.	बालगंगा महिला छात्रावास	एस.आर.टी. परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी	चार सीट	96

पुरुष छात्रावास

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	परिसर का नाम	आवास का प्रकार/प्रति कक्ष	कुल सीटें
1.	चौखम्भा पुरुष छात्रावास	बिड़ला परिसर, श्रीनगर	तीन सीट	84
2.	त्रिशूल पुरुष छात्रावास	बिड़ला परिसर, श्रीनगर	दो सीट	70
3.	बाबू जगजीवनराम पुरूष छात्रावास	बिड़ला परिसर, श्रीनगर	दो सीट	38
4.	स्वामी विवेकानन्द पुरूष छात्रावास	चौरास परिसर	दो सीट	90
5.	आर्यभट्ट शोध पुरूष छात्रावास	चौरास परिसर	एक सीट	47
6.	श्रीदेव सुमन पुरूष छात्रावास	चौरास परिसर	तीन सीट	130
7.	पुरुष छात्रावास	बी.जी.आर. परिसर, पौड़ी	दो सीट	90
8.	त्रिहरि पुरुष छात्रावास	स्वामी राम तीर्थ परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी	तीन सीट	284

UNIVERSITY HOSTELS

Hostels for Girls

S. No.	Name of the Hostel	Location	Type of Accommodation in each Room	Number of Beds
1(a)	Alaknanda Girls Hostel	Birla Campus, Srinagar	3-Seater	56
1(b)	Alaknanda Girls Hostel (Ext)	Birla Campus, Srinagar	2-Seater	120
2	Bhagirathi Girls Hostel	Chauras Campus	3-Seater	150
3	Mandakini Girls Hostel	Chauras Campus	2-Seater	86
4	Ganga Higher Studies Research Girls Hostel	Chauras Campus	2-Seater	28
5	Nanda Devi Research Girls Hostel	Chauras Campus	1-Seater	50
6	Yamuna Girls Hostel	Chauras Campus	3-Seater	200
7	Saraswati Girls Hostel	Chauras Campus	2-Seater	50
8	Girls Hostel	BGR Campus, Pauri	2-Seater	40
9	Balganga Girls Hostel	SRT Campus, Badshahithaul, Tehri	4-Seater	96

Hostels for Boys

S. No.	Name of the Hostel	Location	Type of Accommodation in each Room	Number of Beds
1	Chaukhamba Boys Hostel	Birla Campus, Srinagar	3-Seater	84
2	Trishul Boys Hostel	Birla Campus, Srinagar	2-Seater	70
3	Babu Jag Jeevan Ram Boys Hostel	Birla Campus, Srinagar	2-Seater	38
4	Swami Vivekanand Boys Hostel	Chauras Campus	2-Seater	90
5	Aryabhatt Research Boys Hostel	Chauras Campus	1-Seater	47
6	Sridev Suman Boys Hostel	Chauras Campus	3-Seater	130
7	Boys Hostel	BGR Campus, Pauri	2-Seater	90
8	Trihari Boys Hostel	SRT Campus, Badshahithaul, Tehri	3-Seater	284

छात्रावास प्रशासन

विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों का प्रबन्ध तथा प्रशासन मुख्य छात्रावास अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा कुलपति महोदय के संरक्षण में छात्रावास अधीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। छात्रावास अधीक्षकों के कार्यालय छात्रावासों में स्थित हैं तथा मुख्य छात्रावास अधीक्षक का कार्यालय विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर, श्रीनगर के छात्र क्रियाकलाप केन्द्र के तृतीय तल पर स्थित है। छात्रावासों की प्रशासनिक संरचना वर्तमान में निम्नवत है:–

संरक्षक

प्रो. श्री प्रकाश सिंह, कुलपति

मुख्य छात्रावास अधीक्षक

डॉ० सुरेन्द्र सिंह बिष्ट

7060221595 (मो.), 01346–250752 (कार्यालय)

छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिकायें

बिड़ला परिसर, श्रीनगर

डॉ. दिनेश कुमार – चौखम्भा पुरुष छात्रावास
मो. – 9458600100
डॉ. चन्द्रशेखर जोशी – त्रिशूल पुरुष छात्रावास
मो.– 8534919056
डॉ. नितिन बिष्ट – बी०जे०जे०आर० छात्रावास
मो. –9897536965
डॉ. किरन बाला नौटियाल – अलकनन्दा महिला छात्रावास
मो.–9837801666

चौरास परिसर

डॉ. मोना सेमल्टी
1). गंगा हॉयर स्टडीज महिला छात्रावास
मो.–9193342275
2). नन्दा देवी महिला शोध छात्रावास
मो.–9193342275
डॉ. ज्योत्सना सोनल – मन्दाकिनी महिला छात्रावास
मो.–9871535303
डॉ. बबीता राणा– भागीरथी महिला छात्रावास
मो.– 7467847907
डॉ. श्वेता वर्मा – यमुना महिला छात्रावास
मो.–8802141850
डॉ. सरला सकलानी– सरस्वती महिला छात्रावास
मो.–9456155255
डॉ. अनुराग गोयल – श्रीदेव सुमन पुरुष छात्रावास
मो.–9412050225
डॉ. प्रशान्त आर्य – स्वामी विवेकानन्द छात्रावास
मो.–7895883300
डॉ. सुरेन्द्र सिंह बिष्ट – आर्यभट्ट शोध छात्र छात्रावास
मो.– 7060221595

बी.जी.आर. परिसर, पौड़ी

डॉ. धर्मेन्द्र कुमार – पुरुष छात्रावास
मो.– 9758717375
डॉ. सरिता गौंड – महिला छात्रावास
मो.– 8573060433

स्वामी राम तीर्थ परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी

प्रो. दिनेश कुमार शर्मा
(उप मुख्य छात्रावास अधीक्षक)
मो.– 9410300277
डॉ. सुशान्त कुमार
(पुरुष छात्रावास अधीक्षक)
मो.–7017953159
डॉ. हेमराज
(पुरुष छात्रावास अधीक्षक)
मो.–8567012010
डॉ. पियाराय चौधरी
(महिला छात्रावास अधीक्षक)
मो.– 9474422061
डॉ. सुमनलता
(महिला छात्रावास अधीक्षक)
मो.– 7018891454

HOSTEL ADMINISTRATION

The various Hostels of the University are managed and governed by a team of Wardens working under the supervision of the Chief Warden and patronage of the Vice-Chancellor. The offices of the various wardens are located in the respective hostels supervised by them, and the office of the Chief Warden is located in Third floor of the Student Activity Centre, Birla Campus, HNB Garhwal University, Srinagar Garhwal. The administrative structure of the hostels are as below:

Patron

Prof. Shri Prakash Singh, Vice-Chancellor

Chief Hostel Warden

Dr. Surendra Singh Bisht

(M) 7060221595, 01346 –250752 (Office)

Hostel Superintendents

Birla Campus, Srinagar

Dr. Dinesh Kumar - Chaukhamba Boys' Hostel
(M) 9458600100

Dr. Chandra Shekhar Joshi- Trishul Boys' Hostel
(M) 8534919056

Dr. Nitin Bisht- B.J.J.R. Boys' Hostel
(M) 9897536965

Dr. Kiran Bala Nautiyal- Alaknanda Girls' Hostel
(M) 9837801666

Chauras Campus

Dr. Mona Semalti -

1). Ganga Higher Studies Girls' Hostel
(M) 9193342275

2). Nanda Devi Research Hostel
(M) 9193342275

Dr. Jyotsana Sonal -Mandakini Girls' Hostel
(M) 9871535303

Dr. Babita Rana-Bhagirathi Girls' Hostel
(M) 7467847907

Dr. Shweta Verma -Yamuna Girls' Hostel
(M) 8802141850

Dr. Sarla Saklani -Saraswati Girls' Hostel
(M) 9456155255

Dr. Anurag Goyal-Sridev Suman Boys' Hostel
(M) 9412050225

Dr. Prashant Arya-Swami Vivekanand Boys' Hostel,
(M) 7895883300

Dr. Surendra Singh Bisht -Aryabhatt Research Boys' Hostel,
(M) 7060221595

BGR Campus, Pauri

Dr. Dharmendra Kumar-Boys' Hostel
(M) 9758717375

Dr. Sarita Gond-Girls' Hostel
(M) 8573060433

SRT Campus, Badsahithaul, Tehri

Prof. Dinesh Kumar Sharma
Dy. Chief Hostel Warden
(M) 9410300277

Dr. Sushant Kumar
Hostel Warden Boys' Hostel
(M) 7017953159

Dr. Hemraj
Hostel Warden Boys' Hostel
(M) 8567012010

Dr. Piyarai Chaudhary
Hostel Warden Girls' Hostel
(M) 9474422061

Dr. Sumanlata
Hostel Warden Girls' Hostel
(M) 7018891454

अर्हतायें तथा प्रवेश नियम

विश्वविद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राओं को विवरणिका के अंत में संलग्न प्रवेश आवेदन पत्र पर औपचारिक आवेदन करना होगा। पूर्णतः भरे हुये आवेदनों को मुख्य छात्रावास अधीक्षक के कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि, जो कि मुख्य छात्रावास कार्यालय तथा परिसर के सूचना पट्टों पर सूचित की जायेगी, से पूर्व जमा किया जाना चाहिये। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात जमा होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें निरस्त माना जायेगा। छात्रावासों में (उपलब्ध सीटों पर) प्रवेश छात्रावास प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर होंगे।

छात्रावासों में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सीटों का आरक्षण यू0जी0सी0 तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर किये गये प्रावधानों के अनुसार होगा।

सभी छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया छात्रावास कार्यालय के नियमानुसार पूर्ण की जायेगी तथा निम्न प्रवेश नियमों के अधीन होगी।

1– छात्रावासों में प्रवेश के लिए घोषित अंतिम तिथि के बाद जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। छात्रावासों में प्रवेश हेतु उन्हीं छात्रों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय के एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों/कक्षाओं में प्रवेश पा चुके हों।

2– जिन छात्रों ने सम्बन्धित कक्षाओं/पाठ्यक्रमों हेतु अर्हता परीक्षा में 55 प्रतिशत यद्यपि उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों, वे अभ्यर्थी छात्रावास में प्रवेश हेतु योग्य होंगे, यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इस नियम में 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।

3– जिन छात्रों के माता–पिता विश्वविद्यालय परिसरों से 5 किमी. दूरी की परिधि के अन्तर्गत निवास करते हों, उन छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान नहीं होगी।

4– ऐसे छात्र जो पूर्णकालिक/अंशकालिक/तदर्थ/परियोजना के अधीन शोध दायित्वों/अस्थायी रोजगार में हों, छात्रावास में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे,।

5– ऐसे छात्र जो कि पूर्व में दुर्व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता अथवा रैगिंग में संलिप्तता अथवा विश्वविद्यालय के छात्रावासों के नियमों का पालन न करने के कारण छात्रावास से निष्कासित किये गये हों, ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में छात्रावासों में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

6– छात्रावासों में प्रवेश निर्धारित मापदण्डों के आधार पर निकाली गई वरिष्ठता सूची के अनुसार ही किये जायेगें, तथापि शोध–छात्रों के आवेदन पत्रों पर विचार करते समय उनकी शोध वरिष्ठता को भी ध्यान में रखा जायेगा।

7– छात्रावास प्रवेश समिति पीएचडी के लिए छात्रावासों में सीटों का आवंटन प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों के प्रतिशत के आधार पर करेगी। छात्रावास में प्रवेश हेतु आरक्षण का निर्धारण केन्द्र सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत किया जायेगा।

8– जिन छात्रों को छात्रावास में प्रवेश प्रदान किया जायेगा, उनका नाम मुख्य छात्रावास कार्यालय एवं परिसर के सूचना पट्टों पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा उन्हें अलग से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

9– जिन छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, उन्हें छात्रावास शुल्क अन्तिम निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा न करने की दशा में उसका प्रवेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

10– छात्रावास में प्रवेश एक समय में एक ही शिक्षा सत्र के लिये दिया जायेगा, तथापि जिस छात्र को एक बार प्रवेश दिया जा चुका होगा, उसे पाठ्यक्रम पूरा होने तक अन्य वर्षों में छात्रावास में प्रवेश हेतु वरीयता दी जायेगी, बशर्ते छात्र ने वार्षिक परीक्षा उर्त्तीण की हो तथा उसका व्यवहार छात्रावास में निवास की अवधि में संतोषजनक रहा हो।

11– प्रत्येक छात्र को शिक्षा–सत्र की समाप्ति पर छात्रावास पूर्णतः खाली करना होगा तथा आगामी सत्र में छात्रावास में प्रवेश हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

12– किसी सत्र में छात्रावास में प्रवेश पा चुके छात्र को आगामी सत्र के लिये तब तक पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसने निर्धारित आवेदन पत्र पर प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व पुनः आवेदन न किया हो और वह विगत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो।

13– किसी भी छात्र को किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिये निर्धारित अधिकतम समयावधि तक छात्रावास में निवास करने के बाद पुनः छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित अवधि निम्नवत् है–

Eligibility Criteria and Admission Rules

A student desirous of seeking admission to a hostel of the University should apply through the prescribed application form appended with this Hostel Admission Brochure. The duly filled Hostel Admission Form has to be submitted to the Office of the Chief Warden before the last date notified on the Notice Board of Chief Hostel Warden's Office / Campus. Applications submitted after the said last date shall not be entertained, and summarily rejected.

Admissions to the various hostels shall be made in accordance with the rules determined by the Hostel Administration and shall be subject to the availability of accommodation.

Accommodations in the various hostels shall be allotted as per the reservation provisions of UGC & Govt. of India.

Admissions to the various hostels shall be completed strictly as per rules and regulations displayed on hostel office notice board/university website and shall be subject to the following rules:

1. Applications submitted after the declared last date shall not be considered for the admission in Hostels. Only such students, who might have been admitted to a course/Programme of the University with course duration of one year or more, shall be considered for admission in a hostel of the University.

2. A student shall not be considered for admission to a Hostel of the University unless he/ she might have secured at least 55% marks (5% relaxation to SC/ST) in the Qualifying Examination in respect of the Course/Programme to which he/she might have been admitted .

3. Any student, whose parents might be residing in, or in the immediate vicinty, i.e. within 5Km. of the Campus, shall not be considered for admission to a hostel of University.

4. Any student, who might be in full time/part time/adhoc/Research/Consultancy Project/temporary employment, shall not be considered for admission to a hostel of the University.

5. Any student, who has been expelled from a hostel of the University for misconduct, or an act of indiscipline, or having indulged in ragging or breach of the rules of residence in the hostels of the University shall not be considered for admission to a hostel of the University again.

6. Admissions to the various hostels of the University shall be granted strictly in accordance with the order of merit of the various applicants calculated on the basis of the formula to be developed for the purpose. However, in case of Research Scholars their research seniority shall also be taken into account in addition to their relative merit for admission to a hostel of the University.

7. The Hostel Admission Committee will allocate seats in hostels for Ph.D. scholars based on the percentage of available seats for each course. The reservation to the total available seats will be in accordance with the rules of the Central Government as well as the UGC Ordinance i.e. OBC-27%, SC-15%, ST-7.5% , EWS-10% and PH-4%.

8. Names of the students granted admission to a hostel shall be displayed on the Hostel/University Notice Board and no separate communication shall be made.

9. Students granted admission to a hostel shall have to deposit the prescribed hostel fee by the last date notified for the purpose. The admission of the students shall be cancelled automatically, if he/she fails in depositing the prescribed fees in specified period.

10. Admission to the hostel of the University shall be granted for the duration of one Academic Session only. However, students once admitted to the hostel, shall be given preference in allotment of hostel accommodation for the remaining duration of the course being pursued by them every year, provided that they might have passed their required credit and their conduct during their stay in the hostel might have been found satisfactory.

11. Students admitted to a hostel of the University shall have to vacate the hostel at the end of the Academic Session every year and seek a fresh admission to a hostel of the University for the ensuing Academic Session.

12. A student who has been residing in the hostel of the University during the preceding Academic Session shall not be considered for allotment of hostel accommodation unless he/she has not passed the previous examination and will have to submit a fresh application in the prescribed Hostel Admission Form for admission to a hostel of the University by the last date notified in respect of the Academic Session concerned.

13(a). No student shall be admitted to a hostel of the University if he/she has completed the maximum duration of residence in a hostel in respect of the course being pursued by him/her as specified below:-

स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु	–	3 वर्ष,
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु	–	2 वर्ष,
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु	–	पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि के अनुसार,
एकीकृत पाठ्यक्रमों हेतु	–	5 वर्ष
पीएच.डी. –		विश्वविद्यालय के नियमों एवं विनियमों के अनुसार

13 (ब) छात्रावास में अधिकतम अवधि के लिए निवास करना निम्नलिखित अतिरिक्त उपबन्धों के अधीन होगा।

14 (अ) किसी छात्र/छात्रा को यदि उसके आवेदन पर किसी पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के बाद छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है तो वह उस सत्र/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शेष अवधि तक के लिए ही छात्रावास में निवास कर सकेगा। अर्थात् यदि कोई छात्र स्नातक कक्षाओं के द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करता है तो वह क्रमशः दो अथवा एक वर्ष के लिए ही छात्रावास में निवास कर सकेगा। स्नातकोत्तर कक्षा के द्वितीय वर्ष में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र के लिए छात्रावास में निवास की अवधि केवल एक वर्ष होगी। शोध छात्रों के लिए पंजीकरण की तिथि से द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ष में प्रवेश करने की दशा में वह चार/तीन/दो वर्ष के लिए ही छात्रावास में रह सकेगा।

14(ब) छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित दशाओं में छात्रावास खाली करना होगा।

(i) अकादमिक सत्र समाप्त होने पर,

(ii) पी.एच.डी. शोध प्रबंध जमा करने पर,

(iii) पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर,

(iv) शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश में,

14(स) किसी भी छात्रावास में निवास करने वाले शोध छात्र/छात्रा को अनिवार्यतः प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में अपने शोध निर्देशक से, जो कि विभागाध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित हो, इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह पूर्णकालिक शोध छात्र के रूप में कार्य कर रहा/रही है, एवं शोध कार्य की प्रगति संतोषजनक है तथा वह किसी भी प्रकार के तदर्थ/अस्थायी नौकरी के लिये भुगतान प्राप्त नहीं कर रहा/रही है।

15(अ) –पाठ्यक्रम/शोध थीसिस के पूरा होने के बाद, छात्रावास में रहने वाले छात्र/शोध विद्वान को अपने संबंधित वार्डन से अदेय प्रमाण पत्र लेना होगा और फिर मुख्य छात्रावास वार्डन कार्यालय में जमा करना होगा।

15(ब) – किसी भी छात्र/छात्रा को छात्रावास में प्रवेश देने या न देने का अधिकार छात्रावास प्रवेश समिति को होगा।

शुल्क की प्रकृति एवं भुगतान विधि

छात्रावास में प्रवेश करने वाले छात्र/छात्राओं को निम्नवत् शुल्क जमा करना होगा–

(अ) वार्षिक शुल्क

क्र.सं.	मद	पुरुष छात्रावास (रू० में)	पुरुष शोध छात्रावास (रू० में)	महिला छात्रावास (रू० में)	महिला शोध छात्रावास (रू० में)	महिला हायर स्टडीज छात्रावास (रू० में)
1–	प्रवेश शुल्क	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2–	परिचय पत्र	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
3–	प्रतिभूति शुल्क	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
4–	रिकार्ड बुक	....	....	30.00	30.00	30.00
	योग (रू०)	1600.00	1600.00	1630.00	1630.00	1630.00

Under Graduate Courses – 3 Years,
Post Graduate Courses – 2 Years,
Professional Courses – as per the duration of the course concerned,
Integrated Courses – 5 Years
Ph.D. – According to rules & regulations of the university.

13(b) The maximum duration of residence in a hostel of the University shall be subject to the following additional provisions:-

14(a) A student admitted to a hostel on or later date than the commencement of the course being pursued by him/her, shall be eligible to admission to the hostel for only the residual duration of the session/programme concerned. This means that a student of Under Graduate class admitted to a hostel in the second/third year of the course being pursued may reside in a hostel for only 2/1 year(s), respectively, as the case may be; a student of Post Graduate class admitted to a hostel in the second year of the course being pursued may reside in a hostel for only 1 year, a Research Scholar admitted to a hostel during the second/third/fourth year of his/her research may reside in a hostel for only 4/3/2 year(s), respectively, as the case may be, and so on.

14(b) A student admitted to a hostel shall have to vacate the hostel immediately after-

i. Completion of the annual examinations,

ii. Ph. D. Students after as per the rules & regulation of the university/within 3 days after submission of the thesis.

iii. After the completion of duration of the course.

iv. In winter and summer vacation.

14(c) A Research Scholar residing in a hostel of the University shall have to submit a certificate from his/her supervisor, countersigned by the Head of the Department, in the month of July every year, stating that the Research Scholar is pursuing his/her research on a full time basis, that his/her progress is satisfactory and he/she has not taken up any paid full time/part time/adhoc/temporary job.

15(a) After the completion of course/Research thesis, students/Research scholar who are residing in the hostel shall have to take no dues certificate from their concerning warden and then submitted to the Chief Hostel Warden office.

15(b) A student might be given admission or denied admission in a hostel shall be decided by the hostel admission committee.

Structure of Fee and Schedule of Payment

Students admitted to a hostel of the University shall have to pay the following fees:

A-Annual Fee

S. No.	Item	Fee for Boys' hostel (in Rs.)	Fee for Research Boys' Hostel (in Rs.)	Fee for Girls' hostel (in Rs.)	Fee for Research Girls' hostel (in Rs.)	Fee for Higher Studies Girls' Hostel (in Rs.)
1	Admission Fee	30/-	30/-	30/-	30/-	30/-
2	I- Card Charges	70/-	70/-	70/-	70/-	70/
3	**Caution Money (Refundable)**	**1500/-**	**1500/-**	**1500/-**	**1500/-**	**1500/-**
4	Record Book Charges	—	—	30/-	30/-	30/-
	Total (Rs.)	**1600/-**	**1600/-**	**1630/-**	**1630/-**	**1630/-**

(ब) मासिक शुल्क

क्र. सं.	मद	तीन सीट (रू.)	दो सीट (रू.)	एक सीट (रू.)	महिला हायर स्ट्डीज (रू.)
1.	कमरे का किराया	100.00	130.00	200.00	250.00
2.	विद्युत शुल्क	60.00	70.00	80.00	100.00
3.	कॉमन रूम शुल्क	30.00	30.00	30.00	30.00
4.	क्रीड़ा शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00
5.	अन्य साधन / सुविधा शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00
	योग (रू0 में)	290.00	330.00	410.00	480.00

नोटः हॉस्टल फीस ऑनलाइन मोड द्वारा ही भरी जा सकती है।

A/C No. - 30486699556 (स्टेट बैंक हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय शाखा), IFSC Code - SBIN0010583.

छात्र/छात्राओं को फीस रसीद की कागजी प्रति चीफ हॉस्टल वार्डन के ऑफिस में जमा करनी होगी।

16. छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को पूर्ण सत्र (एक वर्ष) का शुल्क प्रवेश के समय ही जमा करना होगा। (प्री–पीएच.डी. पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए छः माह)।
17. सत्र के मध्य में यदि कोई छात्र/छात्रा स्वंय ही छात्रावास खाली करता/करती है तो उसे किसी भी दशा में जमा किया हुआ शुल्क वापस नहीं होगा।
18. छात्रावास में निवास करने वाले ऐसे शोध छात्र जिनको यू.जी.सी./आई.सी.एस.एस.आर./सी.एस.आई.आर./आई.सी.ए.आर. अथवा अन्य किसी संस्था अथवा सरकार की किसी योजना के अर्न्तगत अथवा विश्वविद्यालय में संचालित शोध /कंसल्टेंसी परियोजना की निधि से अध्येतावृत्ति प्राप्त होती है तो उनके अध्येतावृत्ति के साथ मिलने वाला आवासीय भत्ता देय नहीं होगा।
19. सभी छात्रावासों में भोजनालय की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए मेस की व्यवस्था सहकारिता के (co-operative) आधार पर की जाएगी।
20. छात्रावास के सभी छात्रावासियों को सम्बन्धित हॉस्टल के मेस में ही भोजन करना अनिवार्य है।
21. छात्रावास में किसी अतिथि/बाहरी व्यक्ति को रखना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

विश्वविद्यालय के छात्रावासों में आवास के नियम एवं निर्देश

प्रत्येक छात्र/छात्रा को, जिसका छात्रावास में प्रवेश हो जाता है उसे निम्नलिखित नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा। छात्रावास नियम की अवेहलना करने की दशा में छात्र/छात्रा को छात्रावास में रहने के लिये अयोग्य मानते हुए उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसे छात्रावास से हटाया /निष्कासित कर दिया जायेगा।

1. कोई भी छात्र/छात्रा किसी भी छात्रावास अथवा छात्रावास परिसर में किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र अथवा अन्य घातक शस्त्र जिनमें 6 सेमी से अधिक लम्बाई वाले चाकू, लोहे की छड़ें, जंजीरें एवं लाठियाँ सम्मिलित हैं, न ही लायेंगे और न ही रखेंगे।
2. छात्रावास परिसर में किसी भी तरह का अश्लील साहित्य, चित्र, वीडियो अथवा फिल्म रखने या लाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
3. छात्रावास अथवा छात्रावास परिसर में धूम्रपान या मादक द्रव्यों के सेवन अथवा संग्रहण या बाहर से सेवन कर छात्रावास में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। पकड़े जाने की स्थिति में दण्डात्मक (पुलिस) कार्यवाही की जायेगी।
4. छात्रावास अथवा छात्रावास कक्षों में ज्वलनशील पदार्थो जैसे–एल.पी.जी., केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि लाने अथवा रखने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
5. छात्रावास में निवास करने वाला कोई भी छात्र/छात्रा लेपटॉप या अन्य अमूल्य सामग्री अपनी जिम्मेदारी पर रखें।
6. छात्रावास में किसी भी प्रकार का विद्युत उपकरण जैसे–हीटर, ओवन, हॉट प्लेट, इमरसन रॉड इत्यादि का उपयोग करना अथवा रखना पूर्णरूप से प्रतिबंधित है।
7. छात्रावास के कक्षों में खाना बनाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

B-Monthly Fee for the Hostels

S. No.	Item	3-Seater Accommodation (Rs.)	2-Seater Accommodation (Rs.)	1-Seater Accommodation (Rs.)	Higher Studies Girls Hostel (Rs.)
1	Room Rent	100/-	130/-	200/-	250/-
2	Electricity Charges	60/-	70/-	80/-	100/-
3	Common Room Charges	30/-	30/-	30/-	30/-
4	Sports Fee	50/-	50/-	50/-	50/-
5	Other Amenities Charges	50/-	50/-	50/-	50/-
	Total (Rs.)	**290/-**	**330/-**	**410/-**	**480/-**

Note : Hostel Fee can be deposit through online mode also in
A/C No. - 30486699556 (SBI HNB Garhwal University Branch), IFSC Code-SBIN0010583.
The Students have to submit the hard copy of fee receipt in chief Hostel Warden office.

---

16. **Students admitted to a hostel shall have to pay the Annual Fee for the entire session (one year) at the time of admission.**
17. **If any Boarder vacates the hostel of his/her own volition in mid session, in that case deposited hostel fee will not be refunded.**
18. **Research Scholars admitted to hostels and receiving Fellowships from the UGC/ICSSR/CSIR/ICAR or any other organization or under any scheme of the Government or out of the funds of a Research/Consultancy Project in the University, shall not be entitled for HRA.**
19. **To run the mess functioning smoothly in every hostel, the mess facilities shall be provided on the co-operative/Tender basis.**
20. **All boarders of the hostel shall have to take their meals in the associated Hostel Mess.**
21. **Stay of any guest/outsider is strictly prohibited in the hostel.**

Rules and Instructions of Residence in a Hostel of the University

A student admitted to a hostel of the University shall have to abide by the following rules/ instructions and a breach of the rules of residence in the hostel shall render the defaulting student liable for cancellation of his/her admission and removal/expulsion from the hostel.

1. **No student may bring into a hostel or keep on the premises of a hostel any fire arms or any other lethal weapon(s) including knives with blades longer than 6 cm., metal rods/chains and lathies.**
2. **No student might bring into a hostel or keep on the premises of a hostel any pornographic or other obscene literature, photograph, video, film or analogous material.**
3. **No student is allowed to smoke or to bring or keep or consume any intoxicant in the hostel premises, or enter the hostel premises after consuming any alcoholic beverages, narcotic substance, psychotropic substance, or other intoxicant whether natural or synthetic. If any body would be caught, will be punished rigorously, and will be handed over to the police for further criminal proceedings.**
4. **No student is allowed to keep any inflammable substances like LPG, kerosene, petrol, diesel, etc. in the hostel premises.**
5. The boarder is entitled, at their own risk, to carry a laptop and other electronics gadgets (Smart watch, router etc.) important items.
6. No boarder is allowed to use electrical appliances like heaters, ovens, hot plates immersion rod etc. in the hostel.
7. No boarder is allowed to cook food in the University hostel rooms.

8. कोई भी छात्रावासी छात्रावास की सम्पत्ति यथा–फर्नीचर, वाटर प्यूरिफायर, वॉटर कूलर, बिजली के उपकरण, फिक्सर्स् आदि को क्षति नहीं पहुँचायेगा। कोई भी छात्र/छात्रा इस प्रकार की गतिविधियां करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा आर्थिक दण्ड भी आरोपित करते हुए उसका छात्रावास से निष्कासन कर दिया जायेगा। यदि उक्त गतिविधि में छात्र की पहचान नहीं होती है तो हानि का वित्तीय आकलन करते हुए निर्धारित राशि उस छात्रावास के समस्त छात्रों से वसूल की जायेगी।

9. कोई भी छात्रावासी छात्र/छात्रा छात्रावास से फर्नीचर इत्यादि न तो हटा सकता है और न ही बिना पूर्व अनुमति के छात्रावास में ला सकता/सकती है।

10. कोई भी छात्र/छात्रा छात्रावास के कॉमन कक्ष से समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा अन्य पाठ्य सामग्री को न तो हटायेगा/हटायेगी तथा न ही उन्हें क्षति पहुँचायेगा/पहुँचायेगी अथवा निरूपित करेगा/करेगी।

11. महिला छात्रावासों में पुरूष प्रवेश निषिद्ध है। परन्तु छात्रावास अधीक्षिका/मुख्य छात्रावास अधीक्षक की पूर्व लिखित अनुमति से मरम्मत, रख–रखाव, सफाई, भोजन पकाने अथवा समकक्ष सेवाओं को प्रदान करने हेतु निमित्त व्यक्ति को प्रवेश दिया जा सकेगा। इसी प्रकार पुरूष छात्रावासों में छात्राओं, महिलाओं एवं बालिकाओं का प्रवेश निषिद्ध होगा। इस नियम की अवहेलना को आपराधिक अनधिकार प्रवेश माना जायेगा, जिसके निमित्त न केवल विश्वविद्यालय के अनुशासनों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, वरन् अपराध सम्मत कार्यवाही भी की जायेगी।

12. छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं के माता–पिता, स्थानीय अभिभावक एवं निकट संबंधी किसी भी कार्य दिवस में सायं 4 से 5 बजे के मध्य, तथा रविवार एवं अवकाश के दिनों में सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे तक छात्रावास में छात्रावास के छात्र/छात्राओं से मिल सकते हैं।

13. कोई भी छात्रावासी बिना पूर्व लिखित आदेश के उसके लिये आवंटित कक्ष से अन्य कक्ष में स्थानांतरित नहीं होगा।

14. कोई भी छात्रावासी छात्रावास अधीक्षक को लिखित अनुमति दिये बिना स्टेशन नहीं छोड़ेगा।

15. कोई भी छात्रावासी छात्रावास से बाहर रात्रि निवास नहीं कर सकता बशर्ते कि वह किसी शैक्षणिक भ्रमण पर न हों, ऐसी दशा में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से लिखित पूर्व सूचना छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका को देनी होगी।

16. कोई भी छात्र/छात्रा बिना छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका के लिखित अनुमति के छात्रावास का मुख्य द्वार बन्द होने के बाद छात्रावास से बाहर नहीं रह सकता है। सभी छात्रावासों के मुख्य द्वार शीतकाल में सायं 6.00 बजे तथा ग्रीष्मकाल में सायं 8.00 बजे अथवा मुख्य छात्रावास अधीक्षक द्वारा समय–समय पर अधिसूचित समय पर बन्द हो जायेंगे। परन्तु बीजीआर परिसर पौड़ी तथा एसआरटी परिसर बादशाहीथौल में विभिन्न छात्रावासों में मुख्य द्वारों के बन्द होने का समय वहां की मौसमी परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकता है। प्रत्येक शोधार्थी को भी उपर्युक्त निर्धारित समय का अनुपालन करना होगा, विलम्ब से आने की स्थिति में उन्हें अपने शोध निर्देशक से अग्रसारित कर अतिरिक्त समय के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा, किन्तु अतिरिक्त समय की अवधि अधिकतम रात्रि 9.00 बजे तक ही होगी।

17. कोई भी छात्रावासी छात्रावास परिसर में रैगिंग में सम्मिलित नहीं होगा अथवा किसी भी रूप में रैगिंग को बढ़ावा अथवा उसके निमित्त सहायता नहीं देगा। छात्रावास में रैगिंग को आपराधिक गतिविधि समझा जायेगा तथा लिप्त छात्रों को विश्वविद्यालय प्रवेशार्थी निर्देशिका में उल्लिखित अनुशासनों के नियमों के अधीन दण्डित किया जायेगा।

18. किसी भी छात्रावासी छात्र/छात्रा को छात्रावास परिसर में किसी भी तरह की राजनैतिक गतिविधियों अथवा राजनैतिक क्रिया कलापों के लिये प्रचार सामग्री, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, प्लेकार्ड, स्टिकर्स इत्यादि को लगाने या संग्रह करने की अनुमति नहीं होगी।

19. छात्राओं द्वारा रिकार्ड बुक में जो भी सूचनाऐं दी जाती है उनके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगी। सूचना किसी भी प्रकार से असत्य एवं गलत पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रा के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

20. कोई भी छात्रावासी किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न, उसके सम्मान को ठेस पहुॅचाने तथा यौन उत्पीड़न जैसे कृत्यों में संलिप्त नहीं होगा क्योंकि यह कृत्य जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं।

21. सभी छात्रावासी छात्र/छात्राओं को अपने माता–पिता व अभिभावक के पत्र व्यवहार के पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना तत्काल छात्रावास अधीक्षक कार्यालय में देनी होगी।

22. यदि कोई छात्रावासी पूर्णकालिक/अंशकालिक अथवा तदर्थ रोजगार के तहत कमाई करता/करती है तो इसकी सूचना तत्काल छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका को आवश्यक रूप से देनी होगी।

23. यदि माता/पिता की अनुमति से स्थानीय अभिभावक परिवर्तन किया जाता है तो छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका को सूचित करना होगा।

8. No boarder is allowed to deface or otherwise damage hostel property including furniture, water purifiers, water cooler, fittings, fixtures, etc. In case, a boarder is found involved in such activities, he/she shall be expelled from the hostel and shall be entitled for disciplinary action and fine. However, if the student(s) involved in such activity is not identified, a gross amount after assessment of the damage shall be recovered from all the boarders of that Hostel.

9. No boarder is allowed to remove any article or furniture from a hostel premises or bring in any such article without having any prior written permission from the Warden, In-charge of the hostel.

10. No boarder is allowed to remove or damage or distort newspapers, magazines or other reading materials from the common room.

11. Men shall not be permitted to enter the premises of a Girls' hostel without the prior written authorisation granted by the Warden of the hostel and/or the Chief Warden. However, some persons related to necessary services may be allowed to enter for the purposes of repair and maintenance, sanitary cleaning, catering and other similar services. Similarly, women and girls are barred from entering Boys' hostel. Any violation of this rule will be treated as criminal trespass and shall be punished not only under the discipline rules of the University but shall also liable of criminal proceedings.

12. Visitors (Parents/Local Guardians and close relatives) shall be permitted or entertained only in the specified visiting hours, i.e., 4:00 P.M. to 5:00 P.M. on working days; and between 11:00 A.M. and 5:00 P.M. on Sundays and holidays.

13. No boarder is allowed to shift from the room allotted to him/her to another room in the hostel without obtaining a written permission from the Warden.

14. No boarder may leave station without informing the Warden in writing.

15. No boarder is allowed to stay away from the hostel at night on the pretext of being on an educational tour without submitting a prior written communication to this effect from the Head of the Department concerned to the respective hostel warden. If found doing otherwise the authorities /research/purpose/local guardian/supervisor/parents shall take appropriate action including the cancelation time.

16. No boarder is allowed to remain away from the hostel beyond the time fixed for closing the main gates of the hostel on any pretext whatsoever. The main gates of all hostels shall close at 6:00 PM in winters and 8:00 PM in summers or timing notified by the chief hostel warden time to time. However, time schedule for closing the main gate of various Hostels in Pauri and Badshahithaul Campus may vary as per the climatic condition. Every Research Scholar has also to follow the same time binding unless he/she submits an application signed by his/her supervisor for extra working hours, maximum till 9 PM.

17. No boarder is allowed to indulge in ragging or aid/abet or assist in acts of ragging in the hostel premises. Any act of ragging in the hostel premises shall be deemed to be a criminal offence and shall be punishable in accordance with rules specified in the prospectus of the University.

18. No boarder is allowed to cause the hostel premises to be used for any political purpose including holding meetings, preparing campaign materials, and stocking/displaying banners, posters, playcards, stickers, etc. A violation of this rule shall render the violator liable to the severest punishment under the discipline rules of the University.

19. The Girls' Hostlers will be held responsible for the information provided in the outbook/record book. If this information is found incorrect or misleading serious action will be taken against the hostler.

20. No boarder may commit any act outraging the modesty of any person or an act amounting to sexual harassment.

21. All boarders are required to communicate any change in the address and phone number of their parents or local guardian immediately to Office of the Warden.

22. Boarders who might happen to take up any productive employment whether full time, part time, ad-hoc or temporary, are required to report the fact to the Warden immediately.

23. If Local Guardian is change at any course of time, he /she should have to inform the respective warden imediately a new hostel form to be filled by candidate or to his/her parent permission.

24. सभी छात्रावासियों को चाहिये कि वह अपनी शिकायत और समस्याएं उचित माध्यम सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका के माध्यम से ही ग्रीविन्स कमेटी को प्रेषित करें। यदि कोई भी छात्रावासी छात्रावास प्रशासन को सूचित किये बिना सीधे विश्वविद्यालय प्रशासन से सम्पर्क करता है या ऐसे मामलों को प्रेस में ले जाता है अथवा इसका किसी भी रूप में राजनीतिकरण करता है तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
25. सभी छात्रावासी उपर्युक्त नियमों के अधीन छात्रावास में निवास करेंगे तथा ऐसा न करने की दशा में वे छात्रावास/विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं दण्ड के भागीदार होंगे।
26. छात्रावासियों को समय–समय पर छात्रावास प्रशासन व विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जारी किये गये नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
27. समय–समय पर छात्रावास प्रशासन अथवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया जाता है, यदि उस दौरान कोई छात्रावासी छात्रावास नियमों का उल्लघंन करते हुये पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उसे छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है।
28. किसी भी छात्रावासी को निष्पक्षतापूर्वक अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए छात्रावास प्रशासन छात्रावास में शान्ति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उसे निष्कासित करने का निर्णय ले सकता है।
29. छात्रावासी छात्र/छात्रा को परीक्षा समाप्ति के 5 दिन के अन्दर छात्रावास खाली करना होगा।
30. ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान छात्रावास पूर्णतः बन्द रहेंगे। यदि कोई शोधार्थी छात्रावास में रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने शोध निर्देशक/विभागाध्यक्ष से इस आशय का संस्तुति पत्र छात्रावास अधीक्षक को उपलब्ध कराना होगा।
31. सभी छात्रावासियों को चाहिये कि वह छात्रावास सूचना पट्ट पर अंकित/प्रदर्शित सूचनाओं का नियमित रूप से अवलोकन करें ताकि वे छात्रावास अधीक्षक द्वारा जारी सूचनाओं से अवगत हो सकें।
32. छात्रावासियों का जमा प्रतिभूति शुल्क छात्रावास में निवास के दौरान छात्रावासी द्वारा किसी भी हानि (यदि कोई हो तो) का आकलन कर उसकी क्षतिपूर्ति करते हुए शेष धनराशि छात्रावास छोड़ने के एक वर्ष के भीतर चैक द्वारा वापस की जायेगी। यदि छात्र द्वारा एक वर्ष के भीतर प्रतिभूति धनराशि वापसी का आवेदन नहीं किया जाता है तो तत्पश्चात् धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
33. छात्राओं के लिए स्थानीय अभिभावक के अनुमति के साथ उनके द्वारा छात्रावास फॉर्म में दिये गये फोन नम्बर व पता के आधार पर हॉस्टल से बाहर जाने (आउटिंग) की अनुमति दी जायेगी।
34. यद्यपि छात्रावासों में समुचित सुविधा दिये जाने के प्रयास किये जायेंगे, परन्तु किसी भी छात्रावासी को कोई भी सुविधा हाथों–हाथ दिये जाने के लिए न तो दबाव देना चाहिये और न ही उम्मीद करनी चाहिये।
35. विशेष परिस्थितियों में बिना किसी पूर्व सूचना के छात्रावासी छात्र/छात्राओं से छात्रावास किसी भी समय खाली कराया जा सकता है।
36. एक बोर्डर के लिए हॉस्टल में अकादमिक सत्र के लिए निवास जारी रखने की शर्तें। बोर्डर को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा :

    (अ) **परीक्षा का पूर्ण होना :** छात्रावासी को अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करनी चाहिए।

    (ब) **अच्छा व्यवहार :** छात्रावासी का हॉस्टल में निवास के दौरान व्यवहार उत्तम, सभ्य व मिलनसार होना चाहिए।

हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों में किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को सही माना जाएगा।

✹✹✹✹✹

24. All boarders are required to route their complaints and grievances to the Grievance Committee through proper channel (concerned hostel warden)only. In case, a boarder approaches The University authorities directly without the knowledge of the Warden or take the matter to the press or politicize the matter in any manner whatsoever, the same shall be treated as an indisciplinary act and shall be punished under the discipline rules of the hostel/University.

25. The rules of residence specified above shall be binding on all boarders and any breach of the same shall be treated as indiscipline punishable under the discipline rules of the hostel/University.

26. All other rules made by the University and orders passed by the hostel administration from time to time shall be binding on all boarders and a breach of the same shall also be treated as indiscipline punishable under the discipline rules of the hostel/University.

27. All rooms and other built areas in the premises of all hostels are subject to periodic search and inspection by the hostel administration and other authorities of the University. Any irregularity on the part of a boarder noticed during the said search/inspection shall be deemed to be a breach of the rules of residence in the hostel and shall be punished under the discipline rules of the hostel/University.

28. The hostel administration, after giving a fair opportunity of being heard, may remove or expel a boarder from the hostel at any time in the interest of the maintenance of discipline.

29. All boarders shall have to vacate the hostel within 5 days from the date of the completion of their annual examinations.

30. All hostels shall remain closed during summer vacations and the boarders shall be required to vacate the hostels during the summer vacations. However, the Warden may permit a research scholar to continue living in the hostel during summer vacations on the written recommendation of his/her research Supervisor/Head.

31. Boarders are advised to read the hostel notice board regularly to remain aware of the communications issued by the Warden.

32. The Hostel caution money, deposited by a boarder at the time of admission, shall be refunded after making such deductions as might be deemed necessary for compensating any loss or damage to the hostel property caused by the boarder by way of a cheque within one year from the date of vacating the hostel. If the refund of Caution Money may not be claimed within the said period of one year, the same shall lapse and shall not be refunded.

33. Local guardian outing for girls will only be allowed based on the phone number and address provided on their hostel form at the time of admission.

34. Though efforts will be made to provide comfortable stay facilities in The hostels, no hostler should insist and expect for hand-on comfort.

35. Under specific circumstances boarders may be asked to vacate The hostel at any time without any prior intimation.

36. Conditions for a Boarder to continue residing in the Hostel for the academic session. The Boarder must meet the following criteria.

(a). **Completion of the Examination :** The Boarder should have successful completed their previous examination.

(b). **Good Behaviour :** The Boarder's behaviour during their residency in the hostel should be amicable and civilized.

In case of any discrepancy in Hindi & English versions, English version will be treated as correct.

✹✹✹✹✹

एंटी–रैगिंग कमेटी, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय

1.	माननीय कुलपति महोदय, हे.न.ब.ग.वि. श्रीनगर गढ़वाल	अध्यक्ष
2.	कुलसचिव, हे.न.ब.ग.वि. श्रीनगर गढ़वाल	सदस्य
3.	अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हे.न.ब.ग.वि. श्रीनगर गढ़वाल	सदस्य
4.	मुख्य नियन्ता, हे.न.ब.ग.वि. श्रीनगर गढ़वाल	सदस्य
5.	मुख्य छात्रावास अधीक्षक, हे.न.ब.ग.वि. श्रीनगर गढ़वाल	सदस्य
6.	अध्यक्ष शिक्षक संघ, हे.न.ब.ग.वि. श्रीनगर गढ़वाल	सदस्य
7.	अध्यक्ष शिक्षणेत्तर संघ, हे.न.ब.ग.वि. श्रीनगर गढ़वाल	सदस्य
8.	एस.एच.ओ., कोतवाली श्रीनगर गढ़वाल	सदस्य
9.	श्री अनिल स्वामी, जय भारत सेवा समिति श्रीनगर	सदस्य
10.	अध्यक्ष छात्रसंघ, हे.न.ब.ग.वि. श्रीनगर गढ़वाल	सदस्य
11.	महासचिव छात्रसंघ, हे.न.ब.ग.वि. श्रीनगर गढ़वाल	सदस्य
12.	पत्रकार	सदस्य

Anti-Ragging Committee of the University.

1.	Chairman of the Committee Hon'ble Vice Chancellor	
2.	Registrar, HNBGU Srinagar Garhwal	Member
3.	DSW, HNBGU Srinagar Garhwal	Member
4.	Chief Proctor, HNBGU	Member
5.	Chief Hostel Warden, HNBGU	Member
6.	President Teacher's Association, HNBGU	Member
7.	President Non Teacher's Association, HNBGU	Member
8.	SHO, Srinagar Garhwal (Kotwali Srinagar)	Member
9.	Shri Anil Swami President, Jai B.S.S. Srinagar	Member
10.	President Student Union, HNBGU	Member
11.	Gen. Secretary, Student Union, HNBGU	Member
12.	Journalist	Member

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi 110 002

UGC regulations on curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions, 2009.

(under Section 26 (1)(g) of the University Grants Commission Act, 1956)

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART III, SECTION-4)

F.1-16/2007(CPP-II) Dated 17th June, 2009.

कौन से कार्य/व्यवहार/आचरण को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता है?

रैगिंग निम्नलिखित कृत्यों में से किसी एक या एक से अधिक का गठन है:

1. कोई भी आचरण किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा, चाहे शब्दों द्वारा बोली जाने वाली या लिखित या जिससे चिढ़ाने, अशिष्टता या कोई गलत हरकत का प्रभाव पड़ता हो, चाहे फिर वो कोई नया छात्र हो या पुराना, रैगिंग ही माना जायेगा।
2. कोई भी नया छात्र पुराने छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों का शिकार बनता है या उनकी किसी भी हरकत से झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक परेशानी या मनौवैज्ञानिक नुकसान, भय या आशंका तत्संबंधी पैदा होने की संभावना हो तो इन हरकतों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता है।
3. किसी भी छात्र को कोई भी ऐसा कार्य करने को कहना जिससे उसे पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना का सामना करना पड़े, या छात्र की मानसिकता पर प्रतिकूल असर हो।
4. एक वरिष्ठ छात्र द्वारा किसी भी नवीन छात्र या अन्य छात्र के नियमित शैक्षिक गतिविधि को बाधित, या परेशान करने वाला कार्य।
5. एक व्यक्ति या छात्रों के समूह के शैक्षिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी नवीन छात्र या अन्य छात्र की सेवाओं का शोषण।
6. कोई भी ऐसी हरकत जो वरिष्ठ छात्रों छात्रों द्वारा किसी भी नए छात्र या अन्य छात्रों पर जबरन वित्तीय वसूली या सशक्त खर्च बोझ का कोई भी भार डाले।
7. शारीरिक शोषण के सभी प्रकार: यौन शोषण का कोई भी अधिनियम, समलैंगिक हमले, अलग करना, अश्लील और भद्दा कृत्य, इशारों द्वारा मजबूर व्यक्ति को शारीरिक या स्वास्थ्य नुकसान या किसी अन्य खतरे का कारण।
8. कोई भी हरकत, बोले गए शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा अधिनियम के दुरूपयोग से विकृत खुशी पाना या कामुक रोमांच में सक्रिय या निष्क्रियता से किसी भी नए व पुराने छात्र की असहजता में भाग लेने से रोमांच मिलना।
9. कोई भी कार्य जो कि एक नवागन्तुक या किसी भी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, कोई भी छात्र किसी भी नवागन्तुक या किसी अन्य छात्र पर कामुकता प्राप्त करने के लिए खुशी, बंद शक्ति या श्रेष्ठता का अधिकार दिखा रहा हो।

What constitutes Ragging.- Ragging constitutes one or more of any of the following acts:

1. Any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
2. indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
3. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame,or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
4. Any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
5. Exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
6. Any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;
7. Any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
8. Any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student ;
9. Any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

Swami Vivakanand Hostel, Chauras Campus

Aryabhatt Research Hostel, Chauras Campus

Sridev Suman Boys' Hostel, Chauras Campus

Yamuna Girls Hostel Chauras Campus

Balganga Girls' Hostel, Tehri Campus

Boys' Hostel, Tehri Campus

Boys' Hostel, Pauri Campus

Girls' Hostel , Pauri Campus

Chauras Campus, HNB Garhwal University

मुद्रक: अत्रिज ऑफसेट प्रेस, श्रीनगर गढ़वाल, मो. 9412079049

मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय, तृतीय तल, छात्र क्रियाकलाप केन्द्र, बिड़ला परिसर, श्रीनगर (गढ़वाल)
Chief Hostel Warden Office, Third Floor, Student Activity Centre, Birla Campus, Srinagar (Garhwal)

सम्पर्क : फोन-01346-250752 (कार्यालय), ई-मेल : chiefwarden300@gmail.com
Contact : Ph. No. - 01346-250752 (Office), E-mail : chiefwarden300@gmail.com

Published by: *Dr. S.S. Bisht, Chief Hostel Warden (HNBGU)*